श्री देवेश कांत सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 18/2/2125 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	तारांकित प्रश्न सं0–18/2/2125	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सगुनी पारसा से सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज प्रखंड होते हुए गोपालगंज जिला के उत्तरप्रदेश सीमा तक सारण गंडक मुख्य नहर के सेवा पथ का निर्माण 8 वर्ष पूर्व में कराया गया है, जो क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण दुर्धटनाएँ होती रहती है यदि हाँ, तो सरकार उक्त सेवा पथ का कबतक पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	• वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के सगुनी (परसा) से गोपालगंज जिला में उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली प्रश्नगत सड़क सारण मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 65.54 एवं इसके अंतिम छोर से निःसृत मढ़ौरा शाखा नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 55.13 का सेवापथ है, जिसकी कुल लंबाई 120.67 कि0मी0 है। • उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त नहर के सेवापथ का कालीकरण कार्य दो खंडों में विभक्त कर कराया गया है। – प्रथम खंड में सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत सारण मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 52.22 तक सेवापथ का कालीकरण वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर वर्ष 2022 में पूर्ण कराया गया है तथा इस सेवापथ की मरम्मति अवधि जुलाई–2027 तक निर्धारित है। – सेवापथ मरम्मति अवधि में होने के कारण ग्राम पिपरा से लेकर कबिलासपुर एवं तुरकाहों सुन्दरपट्टी में मरम्मति का कार्य कराया गया है। सारण मुख्य नहर के कि0मी0 36.6 से कि0मी0 28.975 तक का भाग प्रस्तावित गोपालगंज बाईपास अन्तर्गत समाहित है, जिसे पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। – द्वितीय खंड में सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत सारण मुख्य नहर के कि0मी0 52.22 से 65.53 तक एवं मढ़ौरा शाखा नहर के कि0मी0 0.00 से 55.13 तक कालीकरण कार्य प्रस्तावित था, जिसे वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ किया गया था। • संवेदक द्वारा सेवापथ का कालीकरण कार्य पूर्ण किया गया किन्तु फ्लैंक में ब्रिक सोलिंग का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा को विखंडित किया गया एवं अवशेष कार्य को रिस्क एवं कॉस्ट पर करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। जल्द ही कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0स0प्र0(सि0)–05–60/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18/2/2125 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–60 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–60 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(सि0)–05–60 / 2026– 1886 पटना, दिनांक– 23/03/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.03.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

20.3.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo